Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

संतोष बनाम कमला देवी व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज वाद पत्र – 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 272 वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.05.2022 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण वास्ते तलबी प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 05–07–2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

25/7/22 वादी अ.वि. उपस्थित

आज पत्रावली पेश हुई।.....

पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते.....

में दिनांक...19/09/22.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

19/09/22

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक.....11/11.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

10.10.22

आज पत्रावली श्रीमान पुनवाई प्रार्थना पत्र श्रीमान होकर पेश हुई वादीगण के वादिगण ने वादी मुकु की पुनर्गठन करते हुए प्रार्थना पत्र 0.22R03 पेश किया. वादी0 वादिगण की तरफ से श्री लोकेश यादव, एडवो0 उपस्थित व प्रतिवादगण पेश नहीं आए। वादी वादिगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 0.22R03 स्वीकार किया जाता है एवं वादी वादिगण की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र शामिल होकर प्रार्थना के सम्बन्ध में वादीगण को सुना गया, वादीगण की प्रस्तुत आपत्ति दर्शाया भी गई, अतः वादीगण के प्रार्थना पत्र पर वादीगण का वाद पत्र में संशोधन किया जाता है पत्रावली वाद डायरी तकमील नकल पर एक तरफा दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0